भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 247

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 41 से 48 - प्रस्तावित सुधार

सितंबर, 2014

बीसवें विधि आयोग का गठन विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश सं. ए-45012/1/2012-प्रशा.-III (एल.ए.) तारीख 8 अक्तूबर, 2012 द्वारा 1 सितंबर, 2012 से तीन व-र् की अवधि के लिए किया गया ।

विधि आयोग पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य सचिव सहित), दो पदेन सदस्य और पांच अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति ए. पी. शहा

पूर्ण कालिक सदस्य

न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर
प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा
न्यायमूर्ति ऊना मेहरा
डा. एस. एस. चाहर, सदस्य सचिव

पदेन सदस्य

श्री पी. के. मल्होत्रा, सचिव (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग)
डा. संजय सिंह, सचिव (विधायी विभाग)

अंशकालिक सदस्य

श्री आर. वेंकटरमणी
प्रो. (डा.) योगेश त्यागी
डा. विजय नारायण मणि
प्रो. (डा.) गुरजीत सिंह

विधि आयोग
14वें तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,
के. जी. मार्ग,
नई दिल्ली - 110001 पर स्थित है ।

सदस्य सचिव

डा. एस. एस. चाहर

अनुसंधान अधिकारी

डा. (श्रीमती) पवन शर्मा	:	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	अपर विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	उप विधि अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ http://www.lawcommissionofindia.nic.in
इंटरनेट पर उपलब्ध है ।

© भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शहा
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाा : 23736758 फैक्स : 23355741

Justice Ajit Prakash Shah
Former Chief Justice of Delhi High Court
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

अ.शा. सं. 6(3)226/2012-एल.सी.(एल.एस.) तारीख : 2 सितंबर, 2014

प्रिय श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

मैं आपके समक्ष ''भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 41 से 48 - प्रस्तावित सुधार'' पर विधि आयोग की दो सौ सैंतालीसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं ।

''भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 42 से 46 के उपबंधों के पढ़ने मात्र से यह प्रकट होता है कि उसमें परिकल्पित स्कीम में कैसे पुरु-ों के प्रति अधिमानी सोच सम्मिलित है और यह ईसाई महिलाओं के प्रति अनुचित और अन्यायपूर्ण है ।

मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृ-ट करते हुए पिछले कुछ व-ाों में विभिन्न ईसाई संगठनों से सरकार और संबद्ध केंद्रीय विधि मंत्रियों को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए । ये अभ्यावेदन विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अपना सुझाव देने के लिए आयोग को निर्दि-ट किए गए ।

अतः, इन उपबंधों पर गहनता से विचार किया गया और मेरे द्वारा आपको प्रस्तुत इस रिपोर्ट में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है ।

सादर,

भवदीय
ह0/-
(अजित प्रकाश शहा)

श्री रवि शंकर प्रसाद,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

एक नजर में,

वि-नय-सूची

क्र. सं.	शी-र्क	पृ-ठ
1.	प्रस्तावना.....	6
2.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधिनियम हेतु प्रेरक घटनाएं.....	6
3.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925.....	8
4.	धारा 41 से धारा 48 की स्कीम - ईसाई माता के प्रति अन्याय और पक्षपात.....	11
5.	सुझाव और सिफारिशें	12
6.	सिफारिश किए गए परिवर्तनों/संशोधनों को दर्शित करने वाला चार्ट	15
7.	नि-क-र्ष.....	22

रिपोर्ट

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 41 से 48 - प्रस्तावित सुधार

प्रस्तावना

ईसाई धर्म भारत का तीसरा सर्वाधिक विख्यात धर्म है । भारतीय ईसाई, यद्यपि अपनी आस्था के प्रति एकजुट हैं, फिर भी, पूरे देश में अपनी प्रथा, धार्मिक अनु-ठान और धर्म में भिन्न-भिन्न हैं । यद्यपि रोमन कैथोलिक चर्च के बीच एकरुपता कमोबेश कायम है फिर भी देशी प्रभाव ने भारत की ईसाइयत को संपूर्ण विश्व के कई अन्य देशों में उसके स्वरूप को अद्‌भुत और भिन्न बना दिया है । ऐसा विश्वास है कि लगभग सभी प्रकार की ईसाइयत मानने वाले लोग भारत में निवास करते हैं, फिर भी सर्वाधिक आम समूह रोमन कैथोलिक चर्च, सीरो-मालावार कैथोलिक चर्च, दक्षिणी भारत के चर्च की तरह प्रोटेस्टैंट चर्च, मरथोमा सीरियन चर्च, भारत का प्रेस बाइटेरियन चर्च और इसी प्रकार से हैं । प्रारंभिक अवधि के दौरान ईसाइयत को विदेशी भारतीय संदर्भ में विदेशी ग्रहण और भार माना जाता था। तथापि, कालांतर में भारतीय ईसाइयत स्वयं भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हो गया और विदेशी आरोपण के रूप में नहीं बल्कि ईसाइयत अनुभव के देशी अपनाव के रूप में समझा जाने लगा ।[1]

अतः, उपरोक्त के परिणामस्वरूप भारत में ईसाइयों को लागू कुटुम्ब विधि भिन्न-भिन्न है । सहक्रियात्मक प्रभावों के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक रुपभेद हुए जिन्हें कानूनी या न्यायिक विधिक मान्यता प्राप्त हुई । इससे विधियों के उपयोजन में बहुलता आई जबकि ईसाइयों के उत्तराधिकार विधियों में अधिक संदिग्धता देखने में आई । इस बहुलता और संदिग्धता के परिणामस्वरूप भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 का और अंततः भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 का अधिनियम किया गया ।

---

[1] सेल्वा जे. राज, कोरिने डेम्पसी, पापुलर क्रिस्टिनिटी इन इंडिया : राइटिंग विटवीन द लाइन्स, 2002, पृ-ठ 3.

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधिनियमन हेतु प्रेरक घटनाएं

भारत में उत्तराधिकार विधियों का उद्भव धर्म से हुआ । इस प्रकार, हम पाते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में, उत्तराधिकार का अवधारण प्रथागत व्यवहारों और धार्मिक विधियों के आधार पर किया गया । अतः, धार्मिक विधियों की स्कीम और हिंदुओं और मुस्लिमों के साम्पत्तिक अधिकारों के न्यागमन के पाठों के भीतर विनिर्दि-ट नियम बनाए गए थे । जब धार्मिक पाठों के परस्पर प्रतिकूल निर्वचनों, व्यवहार के क्षेत्रीय रूपभेदों और सांस्कृतिक सम्मिश्रण के सहक्रियात्मक प्रभावों के कारण ये नियम द्वियर्थक हो गए तो यह स्थिति बनी कि ऐसे विनिर्दि-ट मानदंड क्या हों जिनके आधार पर न्यागमन और उत्तराधिकार को शासित किया जाए ।

तथापि, हिंदुओं और मुसलमानों से भिन्न समुदाओं के व्यक्तियों के मामले में लागू विधि के बारे में 1865 से पूर्व अवधि में काफी अनिश्चितता व्याप्त थी । वर्ना 1865 के पूर्व, हिंदू और मुस्लिम विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में अपनी-अपनी स्वीय विधियों द्वारा शासित थे । किंतु अन्य व्यक्तियों उदाहरणार्थ, एंग्लो-इंडियन, पारसी, यहूदी, आर्मेनियन, ईसाई और अन्य के संबंध स्थिति दुरुह थी । सामान्यतः इंगलिश विधि प्रेसीडेन्सी शहरों में लागू थी किंतु मोफस्सिल के बारे में स्थिति बहुत स्प-ट नहीं थी । ऐसी व्याप्त दुरुहता जिसका उल्लेख **सर हेनरी मेन** द्वारा विधेयक पुरःस्थापित करते हुए किया गया, वस्तुतः 1865 के उत्तराधिकार अधिनियम का कारण था । इस प्रकार, गैर-हिन्दुओं और गैर मुस्लिमों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाि-त करने वाली विधि की स्थिति बहुत भ्रामक थी । प्रेसीडेन्सी शहरों में, इंगलिश विधि वर्णित समुदायों के सदस्यों को लागू थी । प्रेसीडेन्सी शहरों के बाहर मोफस्सिल के अधिकांश न्यायालय विधानमंडल द्वारा किसी विशि-ट व्यक्ति हेतु सारवान स्वीय विधि उपलब्ध कराए गए सभी मामलों में, ''न्याय, साम्या और शुद्ध अंतःकरण'' के पद को लागू करते हैं । इस प्रकार, 1835 में प्रथम विधि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इंगलिश विधि ऐसे व्यक्तियों को भी लागू विधि घोि-त की जाए - यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई । 1853 के दूसरे विधि आयोग ने इंगलिश विधि को लागू करने का समर्थन नहीं किया किंतु उसने विधि को सदृश बनाने की वांछा पर ध्यान दिया जो संपूर्ण देश में व्याप्त थी । तथापि, तीसरे विधि आयोग ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 का प्रारुप प्रस्तुत किया । अंततः,

1865 का अधिनियम प्रभाव में आया । अधिनियम वसीयती और निर्वसीयती दोनों प्रकार के उत्तराधिकार के बारे में है । अधिनियम ने अपनी व्याप्ति से हिंदुओं और मुस्लिमों को उन्मुक्त किया, किंतु अधिनियम की उपयोगिता अन्य व्यक्तियों के संबंध में उत्तराधिकार विधि को संहिताबद्ध करने के रूप में है ।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 जो इंगलिश विधि पर आधारित थी और कतिपय अपवादों के अधीन रहते हुए, निर्वसीयती और वसीयती उत्तराधिकार के सभी वर्गों को लागू ब्रिटिश भारत की विधि गठित करने हेतु घोनित की गई थी किंतु अपवाद इतने व्यापक थे जो भारत के सभी मूल निवासियों को अपवर्जित करते थे । हिंदू बिल अधिनियम, 1870 (1870 का 21) द्वारा बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिनियमित किया गया था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का कतिपय भाग 1 सितंबर, 1870 को या इसके पश्चात् किसी हिंदू द्वारा किए गए सभी बिलों और क्रोड़ पत्रों को लागू होने चाहिए । प्रोवेट और प्रशासन अधिनियम, 1881 (1881 का 5) हिंदुओं और मुस्लिमों को लागू था । [हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 प्रवृत्त होने पर हिंदू की संपत्ति का उत्तराधिकार इसकी धारा 5 द्वारा अपवर्जित विस्तार के सिवाय इसके उपबंधों द्वारा शासित है । धारा 5 का खंड (1) ऐसे हिंदू की संपत्ति जिसका विवाह और ऐसे विवाह से हुई संतान की संपत्ति को विशे-ा विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन संपन्न हुआ है, के उत्तराधिकार के संबंध में है । धारा का खंड (ii) और (iii) इसमें विनिर्दि-ट व्यक्तियों द्वारा धारित अविभाज्य संपत्ति के संबंध में है । ऐसे सभी व्यक्तियों की संपत्तियों का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा विनियमित है ।] ब्रिटिश संसद् ने यह महसूस किया कि उपरोक्त वर्णित ऐसे व्यापक विखराव और बहुलता को ध्यान में रखते हुए विधि के समेकन की आवश्यकता है और, इस प्रकार, मुख्यतः इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ब्रिटिश विधानमंडल ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 - प्राथमिकतः एक समेकित अधिनियम का अधिनियमन किया ।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

आजकल भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 मुस्लिमों से भिन्न

व्यक्तियों के बारे में बसीयती उत्तराधिकार और हिंदुओं और मुस्लिमों से भिन्न व्यक्तियों के बारे में निर्वसीयती उत्तराधिकार की सारवान विधि से संबंधित भारत में मुख्य विधायी उपाय है । यह ऐसे व्यक्तियों से संबंधित वसीयती और निर्वसीयती उत्तराधिकार के बारे में उत्तराधिकार के तंत्र के संबंध में मुख्य विधायी उपाय भी है । वस्तुतः,यह रेखांकित करना आवश्यक है कि पूर्व उल्लेखानुसार 1925 का अधिनियम एक समेकन अधिनियम है । यह मात्र संशोधनकारी अधिनियम है और कोई तात्विक परिवर्तन किए बिना 1841 और 1903 के बीच पारित कई पूर्व-विद्यमान केंद्रीय अधिनियमों का केवल समेकन है । वस्तुतः, अधिनियम के रचयिताओं ने इस प्रकार कहा - ''इस विधेयक का वि-नय उत्तराधिकार से संबंधित भारतीय विधि को समेकित करना है ; अनेक और महत्वपूर्ण अधिनियमितियों का कानूनी पुस्तक में पृथक् अस्तित्व वर्तमान विधि को सुनिश्चित करने में कठिनाई पैदा करता है अतः इसे समेकित करने का प्रयास करना हर दृ-टि से न्यायसंगत है । विधेयक विशुद्धतः समेकन उपाय के रूप में कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति द्वारा तैयार किया गया है । अतः, विधि में कोई साशय परिवर्तन नहीं किया गया है ।''[2] इस अधिनियम की परिधि व्यापक है क्योंकि यह बारह अधिनियमों को एक में समेकित करता है । समेकित या निरसित अधिनियम इस प्रकार है :

(i) उत्तराधिकार (संपत्ति संरक्षण) अधिनियम, 1841 का 19

(ii) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 का 10

(iii) पारसी निर्वसीयती अधिनियम, 1865 का 21

(iv) हिंदू बिल अधिनियम, 1870 का 21

(v) विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1974 का 3 धारा 2

(vi) प्रोवेट और प्रशासन अधिनियम, 1881 का 5 ; 1889 का अधिनियम 6 ; 1890 का अधिनियम 2 और 1903 का अधिनियम 8

(vii) जिला प्रतिनिधि अधिनियम, 1881 का 6

(viii) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अधिनियम, 1889 का 7

[2] उद्देश्यों और कारणों का कथन, भारत का राजपत्र (पृ-ठ 5) तारीख 4 अगस्त, 1923 द्वारा ।

(ix) मूल निवासी ईसाई संपदा प्रशासन अधिनियम, 1901 का 7

[2]. भारत का राजपत्र (पृ-ठ 5) तारीख 4 अगस्त, 1923 द्वारा उद्देश्यों और कारणों का कथन ।

अधिनियम की स्कीम

उत्तराधिकार अधिनियम व्यापकतः उत्तराधिकार को वसीयती और निर्वसीयती उत्तराधिकार में विभाजित करता है । जहां निर्वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित अधिनियम के उपबंध स्वीय विधि को छोड़कर लोगों के विशि-ट वर्ग या समुदायों को लागू है वहीं कानूनी और अन्यथा भारत के दो मुख्य समुदाय अर्थात् हिंदू और मुस्लिम अछूते हैं । वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित अधिनियम के उपबंध अधिनियम के अधीन उन छूट प्राप्त लोगों और कुछ अन्य के सिवाय प्रायः भारत के सभी लोगों को लागू हैं ।

अधिनियम को ग्यारह भागों में विभाजित किया गया है और कुछ भागों को अध्यायों में उप-विभाजित किया गया है । भाग 1 में परिभा-ाएं और राज्य में कतिपय वर्ग के व्यक्तियों को अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख है । भाग 2 में अधिवास से संबंधित विधि का अधिकथन है । अवधारण का काफी महत्व है क्योंकि व्यक्ति की जंगम संपत्ति को विधि का लागू होना उस पर निर्भर करता है । तथापि, यह भागू लागू नहीं होता यदि मृतक हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या जैन हो । भाग-3 उत्तराधिकार के अधिकारों पर विवाह के प्रभाव का उल्लेख करता है । भाग-4 निर्वसीयती उत्तराधिकार के प्रयोजनों के महत्व की अवधारणा की तुलना में समरक्तता की अवधारणा पर विचार करता है । भाग-5 निर्वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित उपबंधों का अधिनियमन करता है । यह निर्वसीयती उत्तराधिकार की व्यवस्था के बारे में है । जैसाकि वर्तमान कार्य में अधिकतः निर्वसीयती उत्तराधिकार के मुद्दे अंतवर्लित हैं, अधिनियम का भाग 5 कार्य का मुख्य वि-नय गठित करता है । भाग - 6 जो अधिनियम का वृहत्तम भाग है और जिसमें तेइस अध्याय हैं, वसीयती उत्तराधिकार के बारे में है । यद्यपि यह भाग अधिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग गठित करता है, फिर भी वर्तमान अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में बहुत सुसंगत नहीं है । तथापि, अधिनियम की सामान्य स्कीम को जारी रखते हुए, भाग 7 मृतक की संपत्ति के संरक्षण के संबंध में है और भाग-8 मृतक की संपत्ति के लिए प्रतिलिपि हक के बारे में है । भाग-9 प्रोवेट, प्रशासन पत्र ओर मृतक की आस्तियों का प्रशासन के बारे में है और

भाग-10 उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के अनुदान का विनियमन करता है ।

धारा 41-48 की स्कीम-ईसाई माता के प्रति अन्याय और पक्षपात

वर्तमान अध्ययन के मुद्दे ; **कि कैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धाराएं 41 से 48 (अधिक विनिर्दि-टतः धारा 42 से 46) ईसाई महिलाओं के हित के प्रतिकूल हैं और इस बाबत क्या-क्या परिवर्तन सुझाए जासकते हैं ;** पर फोकस डालने के लिए भाग 5 के उपबंधों पर गहन विचार की आवश्यकता है । अधिनियम के इस भाग से ही वस्तुतः निर्वसीयती उत्तराधिकार की व्यवस्था से संबंधित उपबंध आरंभ होते हैं । भाग, 5, 1 जनवरी, 1866 के पूर्व हुए किसी इच्छापत्रहीनत्व या किसी हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या जैन की संपत्ति को लागू नहीं होता ।

अधिनियम के इस भाग का अध्याय 1 (धारा 29 और 30) प्रारंभिक है जबकि अध्याय 2 (धारा 31 से 49) में ''पारसियों से भिन्न निर्वसीयतों के मामले में नियम'' और अध्याय 3 (धारा 50-56) में पारसी निर्वसीयतों के लिए विशे-न नियम अंतर्वि-ट है ।

पारसियों से भिन्न निर्वसीयतों के मामलों में नियम पर विचार करने वाला अध्याय 2 इस रिपोर्ट का प्रमुख वि-नय है । अधिनियम के भाग-5 के अध्याय 2 को तीन उप भागों में विभाजित किया गया है । उप-भाग गठित करने वाली धारा 31 से 35 पारसियों से भिन्न निर्वसीयतों के मामले में नियम का उपबंध करती है, जबकि अन्य उपभाग गठित करने वाली धारा 36 से 40 ''पारंपरिक वंशजों के होने पर वितरण'' के बारे में है । **अधिनियम के इस अध्याय का एक अन्य उप भाग, धारा 41 से 49 'पारंपरिक वंशजों के न होने पर वितरण' से संबंधित नियम का उपबंध करता है ।**

धारा 41 से 49 में अंतर्वि-ट उपबंधों के संदर्भ में यह तर्क किया गया है कि ये उपबंध ईसाई महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण हैं । ईसाई संगठनों सहित कई अन्य द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई है । पिछले कुछ व-र्षों में भिन्न-भिन्न समयों पर सरकार और केंद्रीय विधि मंत्री को संबोधित करते हुए उनकी चिन्ताओं को व्यक्त करने वाले कई ज्ञापन और अभ्यावेदन दिए गए । परिणामतः विधि और न्याय मंत्रालय ने विधि आयोग को उसके सुझाव के लिए इन अभ्यावेदनों

को निर्दि-ट किया । इस प्रकार आयोग ने वर्-ा 2012 में इस वि-नय पर अध्ययन करने का कार्य आरंभ किया । इस अंतरिम और हाल ही में आयोग द्वारा पूर्व नियोजित एक भूतपूर्व परामर्शी, श्री कंडा राव, अधिवक्ता, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वि-नय पर एक दस्तावेज आयोग को प्रति चिह्नित करते हुए परिचालित किया । आयोग ने महसूस किया कि पृ-ठभूमि और वि-नय के महत्व को ध्यान में रखते हुए वि-नय पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार किया । इस प्रकार अंततः प्रस्तुत रिपोर्ट विचारार्थ विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को पेश की गई ।

सुझाव और सिफारिशें

रिपोर्ट में मुख्यतः धारा 41 से 49 के उपबंधों पर फोकस किया गया है और यह परीक्षा की गई है कि क्या ये उपबंध महिलाओं के प्रति न्यायपूर्ण और उचित हैं या ये उनके प्रति विभेदकारी हैं ? यदि विभेदकारी है - तो क्या सुधार सुझाए जा सकते हैं ।

धारा 41 यह उपबंध करती है कि यदि वह अपनी विधवा छोड़ जाता है तो उसकी विधवा के अंश की कटौती करने के पश्चात् निर्वसीयती के पारंपरिक वंशजों के न होने पर वितरण के नियम धारा 42 से 48 में अंतर्वि-ट होंगे । धारा 42 से 46 के उपबंधों को मात्र पढ़ने से प्रकट होता है कि उसमें अभिव्यक्त स्कीम कैसे अनुचित और अन्यायपूर्ण है । धारा 42 के अनुसार जहां निर्वसीयती का पिता जीवित है और कोई पारंपरिक वंशज नहीं है तो पिता संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करता है और माता को कोई अंश नहीं मिलता । अधिमानी दृ-टिकोण व्याप्त है ।

इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले में भी जहां निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है, धारा 43 का उपबंध इसके सिवाय कि उसका पति जिसका हकदार था (अर्थात् मृतक निर्वसीयती का पिता) उसका वह हकदार है । निर्वसीयती के भाई और बहनों के साथ माता को समान अंश की अपेक्षा करते हैं । कई लोगों ने ऐसे उपबंध को ''अनुचित'' कहा है । पक्षपात धारा 44 से 45 के उपबंधों में भी है, और यह केवल तब है जब मृतक निर्वसीयती के पिता, माता, बहन या उनके बच्चे जीवित न हों तो संपत्ति धारा 46 के अधीन माता

को जाती है - ऐसी स्थिति है जो काफी हद तक दैवी परिस्थितियों द्वारा ही सृजित हो सकती है । विधि आयोग ने अपनी पूर्व रिपोर्ट (110वीं) - ''भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925'' में इन उपबंधों को प्रतिबिंबित करते हुए इस प्रकार उल्लेख किया : ''यह महिलाओं की प्रास्थिति के बारे में वर्तमान सोच के अनुरुप नहीं है । इस बिंदु पर विधि में परिवर्तन की आवश्यकता है ।'' इस पृ-ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आयोग यह विश्वास करता है कि सुधार की आवश्यकता न केवल समयानुकूल है बल्कि बहुत अधिक अनिवार्य है जब कोई व्यक्ति अपने चारों ओर देखता है और यह पाता है कि कई अन्य अधिकारिताओं में प्रश्नगत विधि अधिक संवेदनात्मक और समतावादी है । उदाहरणार्थ इंग्लैंड में विधि भिन्न है । वहां संपदा प्रशासन अधिनियम, 1925 की धारा 46 के उपबंधों के अधीन चाहे निर्वसीयती के भाई और बहन जीवित हों, संपत्ति पिता और माता को जाती है । और हमारे संदर्भ में यह ध्यान देना अधिक सुसंगत है कि वे समान अंश पाते हैं और यदि उनमें से केवल एक जीवित हो तो वह पूरा अंश पाता है/पाती है ।

पूर्वगामी चर्चा से हम इस नि-कर्ा पर पहुंचते हैं कि धारा 41 से 49 के अधीन परिकल्पित विधि में परिवर्तन अपेक्षित है जिससे कि ईसाई महिलाओं, विशे-कर मृतक निर्वसीयती की माता के मामले में, के हित को संरक्षित किया जा सके । यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 42 के उपबंध, जो संपत्ति प्राप्त करने और स्वामित्व रखने में पुरु-ों को वरीयता प्रास्थिति देने के प्राचीन सिद्धांत को रूपायित करते हैं, का पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है । इस प्रकार इस रिपोर्ट में दिए गए सिफारिशों में से एक सिफारिश धारा 42 के उपबंधों का संशोधन करने के बारे में है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृतक निर्वसीयती (मृतक की विधवा यदि जीवित है के लिए आधा भाग छोड़कर) संपत्ति में समान उत्तराधिकार प्राप्त करे । ऐसा परिवर्तन यह सुनिश्चित करने में सकारात्मक कदम गठित करेगा कि विधि ईसाई महिलाओं के प्रति न्यायपूर्ण और नि-पक्ष है । तदनुसार यह धारा 43 के उपबंधों पर पुनर्विचार करने को प्रेरित करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहां मृतक निर्वसीयती के माता-पिता (पिता या माता) में से कोई एक

जीवित हैं तो यथास्थिति, वह संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करेगा/करेगी चाहे धारा 43 के विद्यमान उपबंधों में यथा उपवर्णित मृतक के भाई और बहन जीवित हैं । (इस बाबत स्थिति आगे चार्ट में स्प-ट कर दी गई है जिसमें विद्यमान उपबंध और प्रस्तावित संशोधन दोनों का उल्लेख है) । ऐसा परिवर्तन न केवल धारा 43 जो निर्वसीयती की माता को पिता के समान प्रास्थिति वाला नहीं मानती किंतु लगातार धारा 44, 45 और 46 के सभी उपबंधों के विद्यमान उपबंधों के दृ-टिकोण की हमारी अस्वीकृति के अनुरुप है । तद्नुसार, हमारे दृ-टिकोण के अनुसार धारा 44, 45 और 46 के उपबंधों पर पुनः विचार और पुनरीक्षण किया जाना चाहिए जैसाकि नीचे दिए गए चार्ट में देखा जा सकता है । धारा 47 और 48 पर विचार करते हुए हम वही दोहराते हैं जो विधि आयोग द्वारा अपनी 110वीं रिपोर्ट में पहले सिफारिश की गई थी । धारा 47 के संबंध में वहां यह उल्लेख किया गया था कि इस धारा के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कम से कम एक भाई या बहन जीवित हो और जिसे इस धारा के पाठ में आने वाले ''न माता'' शब्दों के पश्चात् ''किंतु एक भाई या बहन छोड़ गया है'' शब्दों को जोड़कर स्प-ट किया जाना चाहिए । इसे स्प-ट करने वाली स्थिति को चार्ट में दर्शाया गया है । धारा 48 जहां कोई भाई या बहन न हो, किंतु भाइयों और बहनों के केवल बच्चे हो, वहां प्रति व्यक्ति वितरण दृ-टिकोण को सम्मिलित करती है । उचित ही यह इंगित किया गया है कि सामान्य नियमानुसार प्रति व्यक्ति वितरण संतो-प्रद हो सकता है किंतु भाइयों और बहनों के बच्चों के मामले में अनुचित होगा अतः,यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि उत्तराधिकार ऐसे मामलों में प्रतिशाखावार होना चाहिए । एक संतान की मृत्यु की दुर्घटना उसके वंशजों के अंश को प्रभावित करने वाली नहीं होनी चाहिए । पुनरीक्षित स्थिति चार्ट में दर्शाई गई है ।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
अध्याय - 2

यथासंशोधित परिवर्तनों/संशोधनों को दर्शाने वाला चार्ट

	विद्यमान धाराएं	प्रस्तावित संशोधन
	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (धारा 41-49)	**भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014**
धारा 41	**निर्वसीयती के पारंपरिक वंशजों के न होने पर वितरण के नियम** - जहां निर्वसीयती ने कोई पारंपरिक वंशज नहीं छोड़ा है वहां उसकी संपत्ति का (यदि वह अपनी विधवा छोड़ जाता है तो उसकी विधवा के अंश की कटौती करने के पश्चात्) वितरण करने के नियम वहीं होंगे जो धारा 42 से 46 में अंतर्वि-ट हैं ।	यथावत्
धारा 42	**जहां निर्वसीयती का पिता जीवित है** - यदि निर्वसीयती का पिता जीवित है तो वह संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा ।	**जहां निर्वसीयती का पिता जीवित है** - यदि निर्वसीयती के माता-पिता (माता और पिता) जीवित हैं तो वे समानतः संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे ।
धारा 43	**जहां निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है किंतु उसकी माता, भाई और बहन जीवित हैं** - यदि निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है, किंतु उसकी माता जीवित है और उसके भाई या बहनें भी	**जहां निर्वसीयती के माता- पिता की मृत्यु हो गई है** - यदि निर्वसीयती के माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो अन्य संपत्ति का उत्तराधिकारी

जीवित हैं और किसी मृत भाई या बहन की कोई जीवित संतान नहीं है तो माता और प्रत्येक जीवित भाई या बहन संपत्ति के समान उत्तराधिकारी होंगे ।

दृ-टांत

क की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है; वह अपनी माता और दो पूर्ण रक्त भाइयों, जान और हेनरी को तथा एक बहन मेरी को, जो उसकी माता की पुत्री है किंतु पिता की पुत्री नहीं है, उत्तरजीवी छोड़ जाता है । माता संपत्ति का एक चौथाई लेती है, प्रत्येक भाई एक-एक चौथाई लेने हैं और मेरी, जो अर्धरक्त बहन है एक-चौथाई लेती है ।

होगा ।

दृ-टांत

क की माता या पिता को छोड़कर मृत्यु हो जाती है तो यथास्थिति, जीवित माता-पिता को पूरी संपत्ति मिलेगी ।

धारा 44

जहां निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है, और उसी माता, भाई या बहन और किसी मृत भाई या बहन की संतानें जीवित हैं - यदि निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है, किंतु निर्वसीयती की माता जीवित है, और यदि कोई भाई या बहन या किसी भाई या बहन की, जिसकी निर्वसीयती के जीवनकाल में मृत्यु हो गई हो, संतान या संतानें भी जीवित हैं, तो माता और प्रत्येक जीवित भाई या बहन और प्रत्येक मृत भाई या बहन की जीवित संतान या संतानें संपत्ति की समान अंशों में हकदार होंगी । ऐसी संतानें (यदि

जहां निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है, और उसके भाई या बहन और किसी मृतक भाई या बहन की संतानें जीवित हैं - यदि निर्वसीयती के पिता और माता की मृत्यु हो गई है किंतु यदि निर्वसीयती के भाई बहन और ऐसे किसी भाई या बहन जिसकी मृत्यु निर्वसीयती के जीवन काल में हो गई हो, की संतान या संतानें भी जीवित हैं तो प्रत्येक जीवित भाई या बहन और प्रत्येक मृतक भाई या बहन की जीवित संतान या संतानें समान अंश की हकदार होंगी, ऐसी संतानें (यदि एक अधिक हैं तो)

एक से अधिक हैं) केवल उन अंशों के समान अंश लेंगे जो उनके अपने-अपने माता-पिता को उस समय मिलता यदि वे निर्वसीयती की मृत्यु के समय जीवित होते ।

दृ-टांत

क, जो निर्वसीयती है, अपनी माता, अपने भाई जान और हेनरी और मृत बहन मेरी की एक संतान तथा मृत अर्धरक्त भाई जार्ज की, जो उसके पिता का पुत्र है किंतु उसकी माता का पुत्र नहीं है, दो संतानें छोड़कर मर जाता है । माता संपत्ति का एक पंचांश लेता है जान और हेनरी प्रत्येक एक-एक पंचांश लेते हैं मेरी की संतान एक पंचांश लेती है और जार्ज की दोनों संतानें अवशि-ट एक पंचांश की आपस में समान रूप से विभाजित कर लेती है ।

केवल उन अंशों में समान अंश लेंगी जो उनके माता-पिता लेते, यदि वे निर्वसीयती की मृत्यु पर जीवित होते ।

दृ-टांत

क, जो निर्वसीयती है, अपने भाई जान और हेनरी और मृत बहन मेरी की एक संतान तथा मृत अर्द्धरक्त भाई जार्ज की, जो उसके पिता का पुत्र है किंतु उसकी माता का पुत्र नहीं है, दो संतानें छोड़कर मर जाता है । जान और हेनरी प्रत्येक एक चौथाई लेते हैं और मेरी की संतान एक चौथाई लेता है और जार्ज की दोनों संतानें अवशि-ट एक चौथाई आपस में समान रूप से विभाजित कर लेती हैं ।

धारा 45 **जहां निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी माता और किसी मृत भाई या बहन की संतानें जीवित हैं** - यदि निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है किंतु निर्वसीयती की माता जीवित है और सभी भाई और बहनों की मृत्यु हो गई है किंतु उनमें से सभी या कोई अपनी संतानें छोड़ गया है, जो निर्वसीयती के उत्तरजीवी हैं, तो माता तथा मृत प्रत्येक भाई या बहनों की संतान या संतानें संपत्ति

जहां निर्वसीयती के पिता और माता की मृत्यु हो गई है किंतु किसी मृत भाई या बहन की संतानें जीवित हैं - यदि निर्वसीयती के पिता और माता की मृत्यु हो गई है और सभी भाई और बहनों की मृत्यु हो गई है किंतु उनमें से सभी या कोई अपनी संतानें छोड़ गया है जो निर्वसीयती के उत्तरजीवी हैं तो प्रत्येक मृत भाई या बहन की संतान या संतानें संपत्ति में समान अंश की हकदार होंगी ; ऐसी

	में समान अंश की हकदार होंगी ; ऐसी संतानें (यदि एक से अधिक हैं तो) केवल उन अंशों में समान अंश लेंगी जो उनके अपने माता-पिता लेते, यदि वे निर्वसीयती की मृत्यु पर जीवित होते । **दृ-टांत** क, जो निर्वसीयती है, कोई भाई या बहन छोड़कर नहीं मरता है किंतु अपनी माता और मृत बहन मेरी की एक संतान और मृत भाई, जार्ज की दो संतानें छोड़कर मर जाता है । माता एक तिहाई लेती है मेरी की संतान एक तिहाई लेती है और जार्ज की संतानें अवशि-ट एक तिहाई को आपस में समान रूप से विभाजित कर लेती है ।	संतानें (यदि एक से अधिक हैं तो) केवल उन अंशों में समान अंश लेंगी जो उनके माता-पिता लेते यदि वे निर्वसीयती की मृत्यु पर जीवित होते । **दृ-टांत** क, जो निर्वसीयती है, कोई भाई या बहन छोड़कर नहीं मरता है किंतु, मृत बहन मेरी की एक संतान और मृत भाई जार्ज की दो संतानें छोड़कर मर जाता है । मेरी की संतान आधा लेती है और जार्ज की दो संतानें अवशि-ट आधे को आपस में समानतः विभाजित कर लेती हैं ।
धारा 46	**जहां निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है किंतु उसकी माता जीवित है, और कोई भाई, बहन या नेफ्यू या नीस नहीं है** - यदि निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है किंतु निर्वसीयती की माता जीवित है और निर्वसीयती का न तो कोई भाई न कोई बहन और न उसके किसी भाई या बहन की कोई संतान ही है तो संपत्ति माता की होगी ।	लोप किया जाए (संशोधित धारा 43 के परिवर्तित उपबंधों के यथा परिणामस्वरूप)
धारा 47	**जहां निर्वसीयती न तो कोई पारंपरिक वंशज, न पिता, न माता ही छोड़ गया है** - जहां निर्वसीयती न तो कोई पारंपरिक वंशज न पिता	जहां निर्वसीयती न तो कोई पारंपरिक वंशज, न पिता, न माता छोड़ गया है बल्कि भाई या बहन छोड़ गया है वहां संपत्ति उसके

और न माता ही छोड़ गया है वहां संपत्ति उसके भाइयों और बहनों और ऐसे भाइयों और बहनों की, जिनकी मृत्यु उसके पूर्व हो गई हो, संतान या संतानों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी । ऐसी संतानें (यदि एक से अधिक हैं तो) केवल उन अंशों के समान अंश लेंगी, जो उनके माता-पिता लेते, यदि वे निर्वसीयती की मृत्यु के समय जीवित होते ।

भाइयों और बहनों और ऐसे भाइयों और बहनों की, जिनकी मृत्यु उसके पूर्व हो गई हो, संतान या संतानों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी ; ऐसी संताने (यदि एक से अधिक हैं तो) केवल उन अंशों के समान अंश लेंगी जो उनके माता-पिता लेते, यदि वे निर्वसीयती की मृत्यु के समय जीवित होते ।

धारा 48 **जहां निर्वसीयती न तो कोई पारंपरिक वंशज, न माता- पिता, न भाई और न बहन ही छोड़ गया है -** जहां निर्वसीयती न तो कोई पारंपरिक वंशज न माता-पिता न भाई और न बहन ही छोड़ गया है वहां उसकी संपत्ति उसके उन नातेदारों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी जो उसके रक्त संबंध की निकटतम डिग्री में हों ।

दृ-टांत

(i) क, जो निर्वसीयती है, पितामह और पितामही को छोड़कर मर जाता है और कोई अन्य ऐसा नातेदार नहीं छोड़ जाता है, जो उसके रक्त संबंध की उसी या निकटतर डिग्री में आता है । वे दूसरी डिग्री में होने के कारण संपत्ति में समान अंश के हकदार होंगे । निर्वसीयती के अंकल

जहां निर्वसीयती न तो कोई पारंपरिक वंशज, न माता- पिता, न भाई और न बहन ही छोड़ गया है वहां उसकी संपत्ति उसके उन नातेदारों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी जो उसके रक्त संबंध के निकटतम डिग्री में हो ।

स्प-टीकरण - जहां ऐसे नातेदार निर्वसीयती के भाइयों और बहनों की संतानें हो तो वे शाखावार लेंगे ।

दृ-टांत

(i) क, जो निर्वसीयती है, पितामह और पितामही को छोड़कर मर जाता है और कोई अन्य ऐसा नातेदार नहीं छोड़ जाता है, जो उसके रक्त संबंध की उसी या निकटतर डिग्री में आता है । वे दूसरी डिग्री में होने के कारण

या आन्ट को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि अंकल और आन्ट केवल तीसरी डिग्री में आते हैं ।

(ii) क, जो निर्वसीयती है, प्रपितामह या प्रपितामही और अंकल और आंट को छोड़कर मर जाता है और ऐसा कोई अन्य नातेदार नहीं छोड़ जाता है जो उसके रक्त संबंध की उसी डिग्री या निकटतर डिग्री में आता है । वे सभी तीसरी डिग्री में होने के कारण समान अंश लेंगे ।

(iii) क, जो निर्वसीयती है, प्रपितामह्, अंकल और नेफ्यू छोड़कर मर जाता है, किंतु ऐसा कोई नातेदार नहीं छोड़ जाता है जो उसके रक्त संबंध की निकटतर डिग्री में आता है । ये सभी तीसरी डिग्री में होने के कारण समान अंश लेंगे ।

(iv) निर्वसीयती के एक भाई या बहन की दस संतानें और दूसरे भाई या बहन की एक संतान उसके रक्त संबंध की निकटतम डिग्री के नातेदारों के वर्ग में आती है । इनमें से प्रत्येक संपत्ति का ग्यारह्वां भाग लेंगे ।

संपत्ति में समान अंश के हकदार होंगे । निर्वसीयती के अंकल या आन्ट को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि अंकल और आन्ट केवल तीसरी डिग्री में आते हैं ।

(ii) क, जो निर्वसीयती है, प्रपितामह या प्रपितामही और अंकल और आंट को छोड़कर मर जाता है और ऐसा कोई अन्य नातेदार नहीं छोड़ जाता है जो उसके रक्त संबंध की उसी डिग्री या निकटतर डिग्री में आता है । वे सभी तीसरी डिग्री में होने के कारण समान अंश लेंगे ।

(iii) क, जो निर्वसीयती है, प्रपितामह्, अंकल और नेफ्यू छोड़कर मर जाता है, किंतु ऐसा कोई नातेदार नहीं छोड़ जाता है जो उसके रक्त संबंध की निकटतर डिग्री में आता है । ये सभी तीसरी डिग्री में होने के कारण समान अंश लेंगे ।

(iv) निर्वसीयती के एक भाई और बहन की दो संतानें और निर्वसीयती के एक अन्य भाई या बहन की एक संतान उसके रक्त संबंध की निकटतम डिग्री के नातेदारों के वर्ग में आती है । संपत्ति का आधार समान अंश में दो संतानों में विभाजित होगा और शे-ा आधा एक अन्य भाई या बहन की एक संतान

को जाएगा । अधिक विनिर्दि-ट निर्वसीयती के एक भाई या बहन के दो संतानें प्रत्येक एक-चौथाई लेंगे जबकि निर्वसीयती के एक अन्य भाई या बहन की एक संतान संपत्ति का आधा लेगा ।

(निःसंदेह, यह कुछ असामान्य सा हो सकता है, किंतु एक संतान की मृत्यु की दुर्घटना उसके या उसके वंशजों के अंश को प्रभावित नहीं करे । धारा 47 में भी जहां भाई या बहनें हैं और भाई और बहनों की संतानें भी है वहां उत्तराधिकार प्रति शाखावार है । धारा 48 के अधीन भिन्न नियम होने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता कम से कम वहां जहां हकदार व्यक्ति भाई और बहनों की संतानें हैं)

धारा 49	**संतान की उन्नति से संबंधी धन अविभक्त संपत्ति में नहीं मिलाया जाएगा** - जहां किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति में, जिसकी मृत्यु निर्वसीयत हुई है, किसी वितरणीय अंश का दावा ऐसे व्यक्ति की संतान या संतान के किसी वंशज द्वारा किया जाता है वहां ऐसे किसी धन या अन्य संपत्ति की गणना, जिसे निर्वसीयती ने अपने जीवित रहने के दौरान ऐसी संतान को, जिसने या जिसके वंशज ने दावा किया है या उसकी उन्नति के लिए संदत्त किया हो, दिया हो या	यथावत्

व्यवस्थापित किया हो, ऐसे वितरणीय अंश का प्राक्कलन करने में नहीं की जाएगी ।

आयोग यह विश्वास करता है कि उपरोक्त सुझाव परिवर्तनों को यदि विधायी अनुमोदन मिलता है तो समयानुकूल विधि बनाने और ईसाई समुदाय तथा विधि और न्यायमंत्रालय, भारत सरकार को दिए गए और उसे निर्दि-ट अभ्यावेदनों और ज्ञापनों में उठाई गई चिन्ताओं को दूर करने में काफी सार्थक होगा ।

नि-कर्ा

'उत्तराधिकार' की संस्थाएं, निःसंदेह प्राथमिकतः संपत्ति से संबद्ध है किंतु समानतः यह मुक्त समाज द्वारा संस्थापित विभिन्न मूल्यों की रक्षा रकता है। इसमें पारिवारिक संबंधों का पुनः प्रवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक बहुलता का उत्तरदायित्व सम्मिलित है । जैसाकि आयोग द्वारा अपनी पूर्व रिपोर्ट (110वीं) में इंगित किया गया था कि अधिक आधारभूत स्तर पर उत्तराधिकार की संस्था समाज के उचित उत्तरदायित्व को पूरी करती है जो मूल रूप से किसी व्यक्ति के तत्काल कुटुम्ब की चिन्ताओं के समाधान से लेकर मृत्यु के परे व्यक्ति के व्यक्तित्व की इच्छा को पूरा करने तक है और विरासत का स्थापित पैटर्न व्यक्ति की मृत्यु पर संपत्ति के स्वामित्व को विनिश्चित करने का न्यूनतम आक्षेपणीय साधन हो सकता है । तथापि, इस बात की अनदेखी न की जाए कि सारवान धन का अंतरण अवसर की समानता, आर्थिक शक्ति का छितराव और अनन्य वर्ग विभेद के परिहार सहित आधारभूत सामाजिक मूल्यों के प्रतिकूल हो । अंतिम पैरामीटर पर किए गए परीक्षण के अनुसार यथा अभिज्ञापत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 42 से 46 के विद्यमान उपबंध प्राचीनतम प्रकृति के हैं और ऐसा दृ-टिकोण विकसित करते हैं जो लिंग पर आधारित विभेद को पु-ट करते हैं और इस प्रकार वर्तमान संदर्भ में महिलाओं की प्रास्थिति और मृतक निर्वसीयती की ईसाई माता के प्रतिकूल और अन्यायपूर्ण हैं । सुझाया गया परिवर्तन विधि को ईसाई समुदाय में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में अधिक विचारशील बनाएगा ओर परिवर्तनशील समय की आवश्यकता को पूरा करेगा ।

ह0/-
(न्यायमूर्ति ए. पी. शहा)
अध्यक्ष

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर)	(प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा)	(न्यायमूर्ति ऊना मेहरा)
सदस्य	सदस्य	सदस्य

ह0/-	ह0/-
(डा. एस. एस. चाहर)	(पी. के. मल्होत्रा)
सदस्य-सचिव	पदेन-सदस्य